



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082023-248204
CG-DL-E-21082023-248204

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3533]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 21, 2023/श्रावण 30, 1945

No. 3533]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 21, 2023/SHRAVANA 30, 1945

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2023

का.आ. 3693(अ).—आधार (वित्तीय और अन्य सविस्ती, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 14(1) के साथ पठित धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इसके द्वारा नियुक्ति करती है

- श्री नीलकंठ मिश्रा, मुख्य अर्थशास्त्री, एक्सिस बैंक और वैश्विक अनुसंधान प्रमुख, एक्सिस कैपिटल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में; और,
 - प्रोफेसर मौसम, एसोसिएट प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान विभाग, आईआईटी दिल्ली और श्री नीलेश शाह, प्रबंध निदेशक, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अंशकालिक सदस्य के रूप में।
2. इस अधिनियम के तहत नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।

[फा. सं. 2(3)/2019-Pers.I]

भुवनेश कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2023

S.O. 3693(E).—In exercise of the powers conferred by Section 12 read with Section 14(1) of The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government, hereby appoints

- i. **Shri Neelkanth Mishra**, Chief Economist, Axis Bank and Head of Global Research, Axis Capital as part-time Chairperson of Unique Identification Authority of India (UIDAI); and,
 - ii. **Prof. Mausam**, Associate Professor, Computer Science Department, IIT Delhi and **Shri Nilesh Shah**, Managing Director, Kotak Mahindra Asset Management Company Limited as part-time Members of Unique Identification Authority of India (UIDAI).
2. The Chairperson and the Members appointed under this Act shall hold office for a term of three years or up to the age of sixty-five years whichever is earlier, from the date on which they assume office.

[F. No. 2(3)/2019-Pers.I]

BHUVNESH KUMAR, Addl. Secy.